रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2005/चैत्र 21, 1927
No. 156] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2005/CHAITRA 21, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 227 (अ).—केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (जघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 23क, 23ख, 23ग, 23घ, 23ङ., 23च 23छ एवं 23ज के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (न्याय-निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा :** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ----

(क) "अधिनियम" से प्रतिभूति (संविदा) विनियमन अधिनियम 1956 (1956 का 42) अभिप्रेत है,

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 23झ के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "जांच" से धारा 23झ में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है।

2. उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं, क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम के तहत दिए गए हैं।

3. **जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति :** जब कभी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की यह राय हो कि अधिनियम की धारा 23क,23ख,23ग,23घ,23ङ.,23च 23छ एवं 23ज के अधीन न्यायनिर्णयन करने के लिए आधार है, वह अपने किसी अधिकारी को, जो प्रभाग प्रमुख के दर्जे से नीचे का न हो, उक्त प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा।

4. **जांच करना :** (1) धारा 23क,23ख,23ग,23घ,23ङ.,23च 23छ एवं 23ज के अधीन यह न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए कि किसी व्यक्ति ने धारा 23क,23ख,23ग,23घ,23ङ.,23च 23छ एवं 23ज में से किसी धारा में यथा विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है या नहीं, जांच करने में, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमतः, ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा जिससे ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (जो उसकी तामील की तारीख से चौदह दिन से कम न हो), हेतुक दर्शित करना अपेक्षित होगा कि उसके विरूद्ध जांच क्यों न की जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रत्येक सूचना में उस अपराध का,जो उसके द्वारा किया गया अभिकथित है, स्वरूप उपदर्शित होगा।

(3) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की, ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित हेतुक, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात, यह राय है कि जांच की जानी चाहिए,तो वह उस व्यक्ति के स्वयं या उसके वकील या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत उपस्थित होने के लिए कोई तारीख नियत करते हुए सूचना जारी करेगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, नियत तारीख को, ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है, या उसके वकील या प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस अपराध के बारे में, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है, अधिनियम, नियमों या विनियमों के उपबंधों को, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि उल्लंघन किया गया है, उपदर्शित करते हुए स्पष्ट करेगा।

(5) उसके पश्चात न्यायानिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य, जिसे वह जांच के लिए सुसंगत समझे, पेश करने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो, सुनवाई किसी भविष्यवर्ती तारीख तक स्थगित की जाएगी और ऐसा साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य अधिनियम,1872 (1872 का 11) के उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्ध नहीं होगा :

यह उपबंधित है कि उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना, और उपनियम (3),(4) और (5) में निर्दिष्ट वैयक्तिक सुनवाई को, संबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर, अभित्यक्त किया जा सकेगा।

(6) न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस नियम के अधीन जांच करने के दौरान, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित है, साक्ष्य देने के लिए या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, पेश करने के लिए बुलाने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) द्वारा यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है या उससे इन्कार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए जांच को अग्रसर कर सकेगा।

5. **न्यायनिर्णायक अधिकारी का आदेश :** (1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अधिनियम की धारा 23झ की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी धारा के तहत शास्ति के लिए दायी हो गया है तो वह अधिनियम की धारा 23झ में विनिर्दिष्ट संगत धारा या धाराओं के उपबंधों के अनुसार लिखित आदेश द्वारा ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे ,अधिरोपित करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, अधिनियम की धारा 23झ के तहत शास्ति की प्रमात्रा का न्यायनिर्णय करते समय, निम्नलिखित कारकों पर सम्यक ध्यान देगा, अर्थात :-

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किए गए अनानुपातिक अभिलाभ या अनुचित लाभ की, जहां कही वह प्रमात्रात्मक हो, मात्रा ;

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी निवेश या निवेशक समूह को हुई हानि की मात्रा;

(ग) व्यतिक्रम का आवृतिमूलक स्वरूप।

(3) उपनियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में उस अधिनियम के उपबंध, जिनकी बाबत व्यतिक्रम हुआ है, विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें ऐसे विनिश्चयों के लिए संक्षिप्त कारण अंतर्विष्ट होंगे।

(4) प्रत्येक ऐसा आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा तारीख डालकर हस्ताक्षरित होगा।

6. **आदेश की प्रति :** न्यायनिर्णायक अधिकारी, उसके द्वारा नियमों के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति को और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भेजेगा।

7. **सूचनाओं और आदेशों की तामील** : इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की निम्नलिखित रीति से व्यक्ति को तामील की जाएगी अर्थात :-

(क) उसे उस व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त या निविदत्त करके ;

(ख) उसे उस व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान जहां अभिलाभ के लिए उसने कारोबार किया था या अंतिम बार कारोबार किया था या स्वयं काम करता है या उसने अंतिम बार काम किया था, पते पर अभिस्वीकृति रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर ; या

(ग) यदि उसे खंड (क) या खंड (ख) के अधीन तामील नहीं किया जा सकता है, तो उसे उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या उसका अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना या अंतिम बार काम करना ज्ञात है, बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए।

[एफ सं0 1/14/एसई/2005]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2005

G.S.R. 227 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (hd) of sub-section (2) of section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules for holding inquiry for the purpose of imposing penalty under the sections 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G and 23H of the Act, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties by Adjudicating Officer) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed by the Securities and Exchange Board of India as adjudicating officer under section 23-I of the Act;

(c) "inquiry" means the inquiry referred in section 23-I.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 shall have the same meanings respectively assigned to them under that Act.

3. **Appointment of adjudicating officer for holding inquiry.-** Whenever the Securities and Exchange Board of India is of the opinion that there are grounds for adjudging under sections 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G and 23H of the Act, it may appoint any of its officer not below the rank of Division Chief to be an adjudicating officer for holding an inquiry for the said purpose.

4. **Holding of inquiry:-** (1) In holding an inquiry for the purpose of adjudging under sections 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G and 23H whether any person has committed

contraventions as specified in any of the sections 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G and 23H, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fourteen days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) to any such person shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him.

(3) If after considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his lawyer or other authorised representative.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his lawyer or authorised representative, the offence, alleged to have been committed by such person indicating the provisions of the Act, rules or regulations in respect of which contravention is alleged to have taken place.

(5) The adjudicating officer shall then give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Evidence Act, 1872 (11 of 1872): Provided that the notice referred to in sub-rule (3), and the personal hearing referred to in sub-rules (3), (4) and (5) may, at the request of the person concerned, be waived.

(6) While holding an inquiry under this rule the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

5. Order of the adjudicating officer.- (1) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has become liable to penalty under any of the sections specified in sub-section (1) of the section 23-I of the Act, he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the relevant section or sections specified in section 23-I of the Act.

(2) While adjudging the quantum of penalty under section 23-I of the Act, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

(b) the amount of loss caused to an investor or group of investors as a result of the default;

(c) the repetitive nature of the default.

(3) Every order made under sub-rule (1) shall specify the provisions of the Act in respect of which default has taken place and shall contain brief reasons for such decisions.

(4) Every such order shall be dated and signed by the adjudicating officer.

6. **Copy of the Order.-** The adjudicating officer shall send a copy of every order made under rules by it to the person concerned and to the Securities and Exchange Board of India.

7. **Service of notices and orders.-** A notice or an order issued under these rules shall be served on the person in the following manner, that is to say,-

(a) by delivering or tendering it to that person or his duly authorised agent;

(b) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or

(c) if it cannot be served under clause (a) or clause (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons.

[F. No. 1/14/SE/2005]
U. K. SINHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 228 (अ).— केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 19क, 19ख, 19ग, 19घ, 19ड., 19च एवं 19छ के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम निक्षेपागार (न्याय-निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा :** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ----

(क) "अधिनियम" से निक्षेपागार अधिनियम 1996 (1996 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 19ज के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "जांच" से धारा 19ज में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है।

2. उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम के तहत दिए गए हैं।

3. **जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति :** जब कभी बोर्ड की यह राय हो कि अधिनियम की धारा 19क, 19ख, 19ग, 19घ, 19ङ., 19च एवं 19छ के अधीन न्यायनिर्णयन करने के लिए आधार है, वह अपने किसी अधिकारी को, जो प्रभाग प्रमुख के दर्जे से नीचे का न हो, उक्त प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा।

4. **जांच करना :** (1) धारा 19क, 19ख, 19ग, 19घ, 19ङ., 19च एवं 19छ के अधीन यह न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए कि किसी व्यक्ति ने धारा 19क, 19ख, 19ग, 19घ, 19ङ., 19च एवं 19छ में से किसी धारा में यथा विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है या नहीं, जांच करने में, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमतः, ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा जिससे ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (जो उसकी तामील की तारीख से चौदह दिन से कम न हो), हेतुक दर्शित करना अपेक्षित होगा कि उसके विरूद्ध जांच क्यों न की जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रत्येक सूचना में उस अपराध का, जो उसके द्वारा किया गया अभिकथित है, स्वरूप उपदर्शित होगा।

(3) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की, ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित हेतुक, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात, यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति के स्वयं या उसके वकील या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत उपस्थित होने के लिए कोई तारीख नियत करते हुए सूचना जारी करेगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, नियत तारीख को, ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है, या उसके वकील या प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस अपराध के बारे में, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है, अधिनियम, नियमों या विनियमों के उपबंधों को, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि उल्लंघन किया गया है, उप्रदर्शित करते हुए स्पष्ट करेगा।

(5) उसके पश्चात न्यायानिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य, जिसे वह जांच के लिए सुसंगत समझे, पेश करने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो, सुनवाई किसी भविष्यवर्ती तारीख तक स्थगित की जाएगी और ऐसा साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्ध नहीं होगा :

यह उपबंधित है कि उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना, और उपनियम (3), (4) और (5) में निर्दिष्ट वैयक्तिक सुनवाई को, संबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर, अभित्यक्त किया जा सकेगा।

(6) न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस नियम के अधीन जांच करने के दौरान, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित है, साक्ष्य देने के लिए या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, पेश करने के लिए बुलाने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) द्वारा यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है या उससे इन्कार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए जांच को अग्रसर कर सकेगा।

5. **न्यायनिर्णायक अधिकारी का आदेश :** (1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अधिनियम की धारा 19ज की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी धारा के तहत शास्ति के लिए दायी हो गया है तो वह अधिनियम की धारा 19ज में विनिर्दिष्ट संगत धारा या धाराओं के उपबंधों के अनुसार लिखित आदेश द्वारा ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे ,अधिरोपित करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, अधिनियम की धारा 19ज के तहत शास्ति की प्रमात्रा का न्यायनिर्णय करते समय, निम्नलिखित कारकों पर सम्यक ध्यान देगा, अर्थात :-

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किए गए अनानुपातिक अभिलाभ या अनुचित लाभ की, जहां कही वह प्रमात्रात्मक हो, मात्रा ;

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी निवेश या निवेशक समूह को हुई हानि की मात्रा;

(ग) व्यतिक्रम का आवृतिमूलक स्वरूप।

(3) उपनियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में उस अधिनियम के उपबंध, जिनकी बाबत व्यतिक्रम हुआ है, विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें ऐसे विनिश्चयों के लिए संक्षिप्त कारण अंतर्विष्ट होंगे।

(4) प्रत्येक ऐसा आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा तारीख डालकर हस्ताक्षरित होगा।

6. **आदेश की प्रति :** न्यायनिर्णायक अधिकारी, उसके द्वारा नियमों के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति को और बोर्ड को भेजेगा।

7. **सूचनाओं और आदेशों की तामील** : इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की निम्नलिखित रीति से व्यक्ति को तामील की जाएगी अर्थात :-

(क) उसे उस व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त या निविदत्त करके ;

(ख) उसे उस व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान जहां अभिलाभ के लिए उसने कारोबार किया था या अंतिम बार कारोबार किया था या स्वयं काम करता है या उसने अंतिम बार काम किया था, पते पर अभिस्वीकृति रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर ; या

(ग) यदि उसे खंड (क) या खंड (ख) के अधीन तामील नहीं किया जा सकता है, तो उसे उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या उसका अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना या अंतिम बार काम करना ज्ञात है, बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए।

[एफ सं0 1/14/एसई/2005]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2005

G.S.R. 228 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 24 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules for holding inquiry for the purpose of imposing penalty under sections 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F and 19G of the Act, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Depositories (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties by Adjudicating Officer) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed by the Board as adjudicating officer under section 19H of the Act;

(c) "inquiry" means the inquiry referred in section 19H.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Depositories Act, 1996 shall have the same meanings respectively assigned to them under that Act.

3. **Appointment of adjudicating officer for holding inquiry.**- Whenever the Board is of the opinion that there are grounds for adjudging under sections 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F and 19G of the Act, it may appoint any of its officer not below the rank of Division Chief to be an adjudicating officer for holding an inquiry for the said purpose.

4. **Holding of inquiry.**- (1) In holding an inquiry for the purpose of adjudging under sections 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F and 19G whether any person has committed contraventions as specified in any of the sections 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F and 19G, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fourteen days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) to any such person shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him.

(3) If after considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his lawyer or other authorised representative.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his lawyer or authorised representative, the offence, alleged to have been committed by such person indicating the provisions of the Act, rules or regulations in respect of which contravention is alleged to have taken place.

1196 GI/05—3

(5) The adjudicating officer shall then give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Evidence Act, 1872 (11 of 1872): Provided that the notice referred to in sub-rule (3), and the personal hearing referred to in sub-rules (3), (4) and (5) may, at the request of the person concerned, be waived.

(6) While holding an inquiry under this rule the adjudicating officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

5. **Order of the adjudicating officer.-** (1) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has become liable to penalty under any of the sections specified in sub-section (1) of the section 19H of the Act, he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the relevant section or sections specified in section 19H of the Act.

(2) While adjudging the quantum of penalty under section 19H of the Act, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

(b) the amount of loss caused to an investor or group of investors as a result of the default;

(c) the repetitive nature of the default.

(3) Every order made under sub-rule (1) shall specify the provisions of the Act in respect of which default has taken place and shall contain brief reasons for such decisions.

(4) Every such order shall be dated and signed by the adjudicating officer.

6. **Copy of the Order.-** The adjudicating officer shall send a copy of every order made under rules by it to the person concerned and to the Board.

7. **Service of notices and orders.-** A notice or an order issued under these rules shall be served on the person in the following manner, that is to say,-

(a) by delivering or tendering it to that person or his duly authorised agent;

(b) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain; or

(c) if it cannot be served under clause (a) or clause (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons.

[F. No: 1/14/SE/2005]
U. K. SINHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 229 (अ).— प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

1. (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में नियम (2) में खंड (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

'(ख) "अपील" का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 21क अथवा 22क अथवा 23ठ के अन्तर्गत अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (5) अथवा नियम 20 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत दायर की गई अपील।'

[एफ सं0 1/14/एसई/2005]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) , दिनांक 18 फरवरी, 2000 में प्रकाशित सा.का.नि. 144(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2000 द्वारा जारी किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) , दिनांक 8 अगस्त, 2000 में प्रकाशित सा.का.नि. 655(अ), दिनांक 8 अगस्त 2000 द्वारा संशोधित किए गए थे तथा उन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i), दिनांक 27 जुलाई, 2001 में प्रकाशित सा.का.नि. 559(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) , दिनांक 9 जनवरी, 2003 में प्रकाशित सा.का.नि. 17(अ) दिनांक 9 जनवरी, 2003 और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) , दिनांक 31 जनवरी, 2005 में प्रकाशित सा.का.नि. 54(अ), दिनांक 31 जनवरी, 2005 द्वारा आगे और संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2005

G.S.R. 229 (E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Second Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

'(b) "appeal" means an appeal filed under section 21A or section 22A or section 23L of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or under sub-rule (5) of rule 19 or sub-rule (5) of rule 20 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957;'.

[F. No. 1/14/SE/2005]

U. K. SINHA, Jt. Secy.

Note :— The Principal rules were issued vide G.S.R. 144(E), dated the 18th February, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 18th February, 2000 and were subsequently amended vide G.S.R. 655 (E), dated the 8th August, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 8th August, 2000 and further amended vide G.S.R. 559 (E), dated the 27th July, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 27th July, 2001, G.S.R. 17(E), dated the 9th January, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 9th January, 2003 and G.S.R. 54(E), dated the 31st January, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 31st January, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.